न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3298/दो/14 विरूध्द आदेश दिनांक 27/6/2014 पारित व्दारा राजस्व निरीक्षक वृत तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 30/अ-12/13-14

रघुवंश प्रसाद त्रिपाठी तनय श्री रामरूप त्रिपाठी
उम्र 62 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम डेगरहट पोस्ट चोरमारी
तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0 प्र0

- आवेदक

- विरूध्द -

1 राजेन्द्र प्रसाद पाठक तनय श्री मोतीलाल पाठक
उम्र 37 वर्ष पेशा खेती निवासी डेगरहट तहसील रामपुर
बाघेलान जिला सतना म0 प्र0

2 शीतल प्रसाद हल्का पटवारी डेगरहट तहसील रामपुर बाघेलाल
जिला सतना म0 प्र0

- अनावेदकगण

श्री तारेन्द्र प्रताप पाण्डे,अभिभाषक, आवेदक

आ दे श

(आज दिनांक 10/3/16 को पारित)

१. यह निगरानी प्र क्र 3298/दो/14 रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा ५० के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक वृत तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना के प्र क्र 30/अ-12/13-14 में पारित आदेश दि 27-6-14 के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया.

आवेदक का कहना है कि उन्होंने ग्राम डेगरहट की आ नं ३९६/१ अनावेदक राजेन्द्र के पिता मोतीलाल से १९८२ में आ नं ३६० के बदले में ली थी, अतः अनावेदक द्वारा ३९६/१ का सीमांकन कराया जाना सही नहीं है.

तर्क के प्रकाश में नस्ती का परिशीलन करने से यह स्पष्ट होता है कि (१) आवेदक ने ऐसा कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराया है जिसके आधार पर यह प्रथमदृष्टया माना जाए कि आ नं ३९६/१ अनावेदक की ना होकर राजस्व अभिलेख में उनके नाम पर दर्ज है, या जो १९८२ में हुई कथित अदला बदली को किसी भी प्रकार से दर्शाता या समर्थित करता हो, (२) अनावेदक ने जिस भूमि आ नं ३९६/१ का सीमांकन कराया है, वह उस ही के नाम में दर्ज नहीं हो इसे मानने का कोई कारण नहीं है; ऐसे में प्रथमदृष्टया यही मांना जाएगा कि अनावेदक ने अपनी ही भूमि का सीमांकन कराया है जिसका उसे अधिकार है, और उसको अपनी ही की भूमि का सीमांकन कराने में कोई बाधा नहीं हीनी चाहिए, (३) आवेदक अनावेदक द्वारा सीमांकन कराई गई भूमि आ नं ३९६/१ का सरहद्दी कृषक या हितबद्ध पक्षकार किस प्रकार है, इस सम्बन्ध में उसने कोई समाधानकारक दस्तावेज़ इस न्यायालय के प्रथमदृष्टया समाधान हेतु उपलब्ध नहीं कराये हैं, (४) इसके बावजूद आवेदक का नाम सूचना पत्र में क्र ४ पर लिखा है, हालाँकि उसके हस्ताक्षर सूचना पत्र या पंचनामे में नहीं हैं, पंचनामे में उसकी उपस्थिति सम्बन्धी कोई लेख नहीं है, किन्तु रा नि के प्रतिवेदन में यह लिखा है की उसने हस्ताक्षर नहीं किया, और यह कह दिया कि उसे जानकारी हो गई है और वह हस्ताक्षर नहीं करेगा, (५) आवेदक का सीमांकित भूमि में कब्ज़ा और दबता रकबा पाया गया है, (६) आवेदक का दबता रकबा पाने पर, रा नि ने सीमांकन की पुष्टि करने के पूर्व अपने न्यायालय से आवेदक को नोटिस भेजकर उसका पक्ष रखने के लिए आहूत नहीं किया है, (७) आवेदक ने आ नं ३९६/१ अनावेदक की नहीं होने और आवेदक की होने के सम्बन्ध में अधीनस्थ स्तर पर अभी तक कोई भी आपत्ती उठाई हो ऐसा उसने स्पष्ट नहीं किया है, और (८) चूँकि प्रतिवेदन में यह लिखा है की आवेदक सीमांकन के मौके पर उपस्थित था, अतः यदि आवेदक ने विषयांकित सीमांकन प्रक्रिया के दौरान मौके पर इस सम्बन्ध में कोई आपत्ती उठाई हो तो अधीनस्थ स्तर पर उसकी इस आपत्ती का कोई स्पष्ट निराकरण किया गया होना अभिलेख पर अवलोकनीय नहीं है.

उपरोक्त बिन्दुओं के प्रकाश में मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को तर्क की दिनांक १७-२-१६ को दि २९-२-१६ तक का समय ऊपर लिखे बिन्दुओं पर अपने समर्थन में इस न्यायालय के प्रथमदृष्टया समाधान हेतु आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध कराने के लिए दिया. इन दस्तावेजों की प्रतियाँ उन्हें निगरानी मेमो के साथ स्वयमेव ही उपलब्ध करानी चाहिए थीं, किन्तु उन्होंने नहीं दीं. और अवसर दिए जाने के बावजूद उन्होंने ऐसे कोई दस्तावेज़ इस न्यायालय के प्रथमदृष्टया समाधान हेतु उपलब्ध नहीं कराए हैं. इनके अभाव में, ऊपर लिखे जा चुके कारणों के प्रकाश में, मैं इस निगरानी को रा मं में ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे यह लग रहा है कि इस स्थिति में ऐसी निगरानी रा मं में ग्राह्य किये जाने से वरिष्ठ स्तर पर अनावश्यक न्यायिक वाद बढेगा, जबकि सम्बंधित बिंदु पर अधीनस्थ स्तर पर विचार अभी हुआ ही नहीं है.

अतः, मैं यह निगरानी प्रकरण तहसीलदार, रामपुर बाघेलान को यह निर्देश देने के साथ रा मं से समाप्त करता हूँ कि वे विषयांकित सीमांकन प्र क्र ३०/१अ१२/१३-१४ अब अपने न्यायालय में आहूत करके खोलें, और उसमें आवेदक रघुवंश एवं अनावेदक राजेन्द्र, मोतीलाल सहित समस्त हितबद्ध पक्षकारों और सरहद्दी कृषकों को नोटिस भेजकर अपने समक्ष सुनवाई, पक्ष समर्थन, साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण आदि का समुचित अवसर प्रदान करें, तथा पहले आवेदक द्वारा रा मं के समक्ष उठाई गई आपत्ती पर अपने न्यायालय में विचार करके उसका बोलते स्वरुप के आदेश से निराकरण करें, और उसके बाद एवं उसके प्रकाश में एवं अनुसार, वे विषयांकित सीमांकन की पुष्टि पर योग्य विचार करके उसके सम्बन्ध में भी स्पष्ट और बोलते स्वरुप का आदेश पारित करें. यह समस्त कार्यवाही, तहसीलदार, उन्हें रा मं के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम ४ माह में अनिवार्यतः पूर्ण करें. तब तक के लिए आक्षेपित सीमांकन आदेश दि २७-६-१४ प्रभावहीन रहेगा, और तहसीलदार के उक्त आदेश के उपरांत एवं उसके प्रकाश में ही उसका आगामी प्रभाव, यदि होना उचित हो, तो होगा.

उभयपक्ष के पक्षकारों को भी यह निर्देश दिया जाता है कि वे उन्हें रा मं के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम १ सप्ताह के भीतर या तहसीलदार का नोटिस प्राप्त होने पर उसमे बताई गई दिनांक को, जो भी पहले हो, तहसीलदार रामपुर बाघेलान के समक्ष अपने पक्ष समर्थन हेतु

उपस्थित होना होगा. यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो तहसीलदार उन्हें योग्य अवसर देने के उपरांत प्रकरण में कार्यवाही आगे बढाने के लिए मुक्त होंगे.

इन्ही निर्देशों के साथ यह प्रकरण रा मं से समाप्त किया जाता है.

आदेश पारित.

पक्षकार एवं तहसीलदार, रामपुर बाघेलान सूचित हों.

प्रकरण समाप्त.

दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर